



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक **07.09.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय व प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अवैध शराब में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में दिनांक 06.09.2022 को थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराहीगण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के तहत 02 नफर अभियुक्तागण अभियुक्ता 1.राखी पत्नी सत्यम कबूतरा उम्र 29 वर्ष निवासी गोरा तालाब स्टेशन के पास कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 2.इन्दिरा पत्नी राजू कबूतरा उम्र 50 वर्ष निवासी गोरा तालाब स्टेशन के पास कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को क्रमशः 30-30 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब नाजायज के साथ बेलाताल स्टेशन जाने वाले रास्ते पर तिराहे से करीब 15 कदम की दूरी पर वहद कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 245/222 व 246/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
- 2.कां0 जितेन्द्र कुमार 3.कां0 विकास कुमार
- 4.कां0 प्रशांक कुमार 5.म0कां0 शालिनी सिंह





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ0नि0 विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह परमार को एक प्लास्टिक के झोले में 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ ग्राम महेवा के महेवा पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 247/2022 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राजेन्द्र सिंह परमार पुत्र तेजसिंह उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम बिड़ौरा खेत थाना पृथ्वीपुर जनपद निवाड़ी (टीकमगढ़) म0प्र0 हाल पता ग्राम महेवा अशोक महाराज का मकान थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

बरामद माल का विवरण:-

एक प्लास्टिक के झोले में 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. हे0कां0 उदयभान यादव
3. हे0कां0 कन्हैयालाल पटेल
4. कां0 जितेन्द्र कुमार बिन्द
5. कां0 विकास कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० रामकिशन यादव व कां.यशपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के तहत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा से सम्बन्धित मु०नं० 2570/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त कल्लू कुशवाहा पुत्र मोतीलाल कुशवाहा निवासी ग्राम नैगुवा थाना नौगांव जनपद छतरपुर म०प्र० को ग्राम नैगुवा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ.नि. रामकिशन यादव चौकी प्रभारी धवर्वा थाना अजनर महोबा ।
2. कां.यशपाल सिंह थाना अजनर जिला महोबा ।

अभियुक्त का नाम-

1. कल्लू कुशवाहा पुत्र मोतीलाल कुशवाहा निवासी ग्राम नैगुवा थाना नौगांव जनपद छतरपुर म०प्र०
अपराध विवरण -
मु०नं० 2570/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर सम्बन्धित माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 06.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु तथा अवैध शराब चेकिंग अभियान के क्रम में थाना अजनर थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने कबूतरा डेरा ग्राम गंज से अभियुक्ता शकीना पत्नी आजाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम गंज थाना अजनर, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के डिब्बे में 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद की जिस पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 179/2022 अन्तर्गत धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने अपना ढाबा बहद ग्राम बिजौरी से अभियुक्त बालकिशुन राजपूत पुत्र दीनदयाल उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 16 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद की जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 178/2022 अन्तर्गत धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामकिशन यादव चौकी प्रभारी धवर्वा थाना अजनर जिला महोबा
2. कां.यशपाल सिंह 3. कां.उमेशचन्द्र 4. म.कां.सुनीता देवी थाना अजनर
1. उ0नि0 राधेश्याम सिंह थाना अजनर जिला महोबा
2. कां.सुधीर कुमार यादव 3. पीआरडी उमाशंकर





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



“पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी/सैनिक सम्मेलन”

मां0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 के जनपद महोबा में प्रस्तावित कार्यक्रम को अचूक एवं त्रुटि रहित सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु किया ब्रीफ ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक 07.09.2022 को पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिये गये, गोष्ठी के प्रारम्भ में जनपद के विभिन्न थानों/चौकियों से आये पुलिस कर्मियों के साथ सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्मचारीगण द्वारा बतायी गयी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/शाखा प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी कर जनपद में घटित अपराधों की समीक्षा की गयी जिसके दौरान जनपद में घटित घटनाओं एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया । महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा गुमशुदा/अपहृता की सर्विलांश के माध्यम से जल्द बरामदगी करने, शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की समीक्षा की गई, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब/जुआ के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए ।



मां0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के जनपद महोबा आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम को अचूक एवं त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, शाखा प्रभारियों व जनपदीय पुलिस मीडिया सेल को निर्देशित किया गया ।

मां0 सीएम हेल्पलाइन/आईजीआरएस से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने एवं आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने के निर्देश दिये साथ ही आगामी त्यौहार चेहल्लुम व नवरात्र पर्व के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था व इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये ।

प्र0नि0 यातायात व समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु, यातायात जागरूकता अभियान व नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये ।

उक्त मासिक अपराध गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र सहित जनपदीय पुलिस के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त शाखा प्रभारी आदि अधिकारी/कर्मचारीगण सम्मिलित हुए ।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह का.पवन कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने केस न 497/13 धारा 452/354क/323 भा०द०वि० माननीय न्यायालय जेएम चरखारी महोबा से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र सुक्खा लोधी उम्र 57 वर्ष नि.ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

शिवकुमार पुत्र सुक्खा लोधी उम्र 57 वर्ष नि.ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जिला महोबा



गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का.पवन कुमार



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशानुसार जनपद के प्रमुख होटल/रिसोर्टों में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अग्निशमन केंद्र महोबा द्वारा फायर सेफ्टी का किया गया औचक निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 07.09.2022 को स्कीम-5 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी सदर महोबा तथा प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा देवेश तिवारी द्वारा जनपद महोबा के होटलों/रेस्टोरेंट/शॉपिंगमॉल/स्कूल/हॉस्पिटल का अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिष्ठानों में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का फायर ऑडिट किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी व अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठानों पर लगे फायर एक्सटिंगिशरों की जांच की गयी व होटलों/शापिंगमॉल में लगे फायर अलार्म सिस्टम व फायर एक्जिट की सम्बन्धी प्रबन्धों का निरीक्षण किया गया तथा अग्निशमन उपकरणों के संचालन, रख-रखाव के बारे में उपस्थित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं आग से रोकथाम के उपाय बताए गए तथा होटल/रिसोर्टों में आकस्मिक फायर एक्जिट सम्बन्धी होटल में स्पष्ट निर्देशो को दर्शाने व प्रतिष्ठानों पर अग्निशमन उपकरणों की कमी को तुरंत पूर्ण करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण किये गये होटलों का विवरण निम्नवत है- 1.विनायक होटल 2.गजानन होटल 3.अटल ज्योति इंटर कॉलेज 4.सुखानंद हाईस्कूल 5.इंडस वैली पब्लिक स्कूल 6.एन आर विद्यालय 7.हरवंश राठौर इंटर कॉलेज 8.साई लॉ कॉलेज 9.न्यूवे इंटर कॉलेज 10.भवानिदीन राठौर इंटर कॉलेज 11.शिवम होटल 12.राज पैलेस आदि।

